राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.2(18)नविवि/5/2009 पार्ट–VIII जयपुर, दिनांक– 21 MAR 2018

आदेश

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के अन्तर्गत विकसित योजनाओं में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009 के प्रावधाननुसार आरक्षित आवासों/फ्लैटों हेतु पूर्व में जारी विभागीय आदेश दिनांक 12.06.2017 एवं 26.07.2017 को अधिक्रमित करते हुए संशोधित आदेश जारी किया जाता है:–

1. अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009/ राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी,–2010 के अन्तर्गत विकसित योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./एम.आई.जी.–प्रथम आवास जिनका आवंटन निरस्त हो चुका है/निरस्त योग्य है अथवा ऐसे आवास जिनका आवंटन संबंधित निकाय द्वारा नहीं किया गया है, ऐसे आवासों के आवंटन की दर वर्तमान में मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत निर्धारित दर 1260 रू प्रति वर्गफीट (राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.02.2018 के अनुसार पूर्व की दर रु 1200/– प्रति वर्गफीट में 5 प्रतिशत वृद्धि किये जाने पर) के समान रखे जाने का निर्णय लिया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी–2009 के तहत मॉडल–1(निजी विकासकर्ता की योजनाऐं) में अनुमोदित योजनाओं पर उक्त निर्धारित दर 1260 रूपये प्रति वर्गफीट में से रूपये 100 प्रति वर्गफीट संबंधित नगरीय निकाय एवं रूपये 50 प्रति वर्गफीट संधारण मद मे रखे जाने के पश्चात् शेष राशि विकासकर्ता को देय होंगी, ऐसे आवासों पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अनुरूप प्रत्येक वर्ष में लागू होने वाली संशोधित दरें आवंटन से शेष आवासों पर लागू होगीं।
2. मॉडल–2 एवं मॉडल–4 मे रूपये 1260/–प्रति वर्गफीट में से विकासकर्ता को वह राशि देय होगी, जो कि योजना के अनुमोदन के समय निर्धारित की गई थी। कुल राशि रु. 1260/– प्रति वर्गफीट में से रूपये 50/– प्रति वर्गफीट संधारण मद मे रखे जाने तथा विकासकर्ता को दी जाने वाली राशि के पश्चात शेष राशि स्टेट लेवल सेंक्शनिंग एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 11.08.2017 में लिये गये निर्णय संख्या–3 के अनुसार, रूडसिकों को स्थानान्तरित की जावेगी जिसका उपयोग राष्ट्रीय आवास बैंक से लिये गये ऋण के भुगतान के लिये किया जायेगा। उक्त अन्तर राशि रूडसिको को संबंधित परियोजना के ऋण समाप्त होने तक ही देय होगी इस संबंध में रूडसिको, संबंधित नगरीय निकाय को ऋण समाप्ति बाबत् अवगत करायेगा, उसके उपरान्त अन्तर राशि नगरीय निकाय का अंश होगी।
3. पूर्व की योजनाओं में निरस्त/गैर आवंटित आवास/भूखण्ड संबंधित निकाय द्वारा मॉडल–1 के तहत एक माह में आवेदन प्राप्त कर आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें तथा आवंटियों से पुनः आवंटित आवासों की सम्पूर्ण राशि तीन माह में ली जावेगी जिसमें से विकासकर्ता के हिस्से की राशि का भुगतान विकासकर्ता को तुरन्त किया जावेगा। यदि तीन माह के उपरान्त भी संबंधित नगरीय निकाय द्वारा अधिशेष आवासों का आवंटन नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार शेष आवासों/भूखण्डों का आवंटन विकासकर्ता, मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान–1A अन्तर्गत निर्धारित आवंटन प्रक्रिया के अनुरूप करने के लिए स्वतंत्र होगा।"

21/3/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. रक्षित पत्रावली।

21/3/15

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

23/3